मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 6 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 15, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. आंग्ल-भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश राज्य की विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आंग्ल भारतीय समुदाय को मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिनिधित्व देने संबंधी विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना, प्रमुख सचिव, विधान सभा पटल पर रखेंगे।

प्रमुख सचिव, विधान सभा (डॉ. ए.के. पयासी) ने संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में महामहिम राज्यपाल मध्यप्रदेश द्वारा आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिधि को विधान सभा के सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने विषयक विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15/56/04/21-ब (दो), दिनांक 29 नवम्बर, 2004 पटल पर रखी।

2. शपथ /प्रतिज्ञान

(1) संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा सदस्य के रूप में नाम-निर्देशित आंग्ल भारतीय समुदाय की श्रीमती एल.बी.लोबो द्वारा शपथ ग्रहण की गई तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये।

(2) निर्वाचन क्षेत्र क्र.-93 बालाघाट से उपचुनाव में निर्वाचित श्री अशोक सिंह सरस्वार, सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण की गई तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर किये गये।

3. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 13 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 69 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 87 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

(अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि आज किन्हीं कारणों वश मुख्यमंत्री प्रश्नकाल नहीं हो सकेगा)

4. स्थगन प्रस्ताव

ग्वालियर जिले के भंवरपुरा ग्राम में डाकू गिरोह द्वारा दिनांक 29.10.2004 को सामूहिक हत्याएं किये जाने संबंधी स्थगन प्रस्ताव की डॉ. गोविन्द, श्री सत्यदेव कटारे, श्री आरिफ अकील, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, श्री राजनारायण सिंह पुरनी, श्री राजेश पटेल, श्री निशिथ पटेल, डॉ. सुनीलम्, श्री रामनिवास रावत तथा डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य की सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की सूचना सबसे पहले प्राप्त होने से अध्यक्ष महोदय द्वारा उसे पढ़ा गया।

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा में भाग लिया :-

(1) डॉ. गोविन्द सिंह
(2) श्री सत्यदेव कटारे
(3) श्री आरिफ अकील
(4) श्रीमती सरोज बच्चन नायक
(5) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(6) श्री राजेश पटेल
(7) डॉ. सुनीलम्
(8) श्री रामनिवास रावत

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा माननीय सदस्यों के विचार एवं शासन का वक्तव्य सुनने के पश्चात् इसको प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

(डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा तथा डॉ. सुनीलम्, सदस्य के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन किया गया)

5. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री आरिफ अकील, सदस्य की म.प्र. के टेकाम उराब एवं बैगा जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति के प्रमाण-पत्र न दिये जाने,

(2) श्री दुर्गालाल विजय, सदस्य की श्योपुर जिला चिकित्सालय में चिकित्सकों के पदों का रिक्त होना एवं दवाओं तथा अन्य सुविधाओं का अभाव होने,

(3) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, सदस्य की होशंगाबाद जिले के इटारसी शासकीय जे.ए.आर. में पदस्थ चिकित्सकों की कमी होने,

(4) श्री जुगुल किशोर बागरी, सदस्य की जिला शिवपुरी नगर पिछोर में शासकीय चरनोई एवं नजूल भूमि पर अतिक्रमण किये जाने,

(5) श्री नारायण त्रिपाठी, सदस्य की सतना जिले के शासकीय विवेकानंद महाविद्यालय मैहर द्वारा जनभागीदार समिति का गठन न किये जाने,

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य की रीवा जिले के मउगंज क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप होने,

(7) श्री रामगुलाम उईके, सदस्य की जिला बैतूल ग्राम जगधर के अदिवासियों की जमीन पर वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण होने,

(8) श्री छत्रपति सिंह, सदस्य की सीधी जिला विकासखंड देवसर अन्तर्गत ग्राम पंचायत निगरी के सरपंच के कारनामों से जनता परेशान होने,

(9) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की राज्य शिक्षा कर्मी संघ द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश व्यापी आंदोलन से शिक्षण व्यवस्था चौपट होने, तथा

(10) श्री सोबरन सिंह बाबूजी, सदस्य की जबलपुर जिला पटना के अन्तर्गत ओला वृष्टि से फसलें नष्ट होने से आर्थिक सहायता न दी जाने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2002-2003 का छियालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1.4.2002 से दिनांक 31.3.2003 तक),

(2) श्री करण सिंह वर्मा, ग्रामोद्योग राज्यमंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा(3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लेदर डेवलपमेट कार्पोरेशन लिमिटेड का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1994-95,

(3) श्री अनूप मिश्रा, नर्मदा घाटी विकास मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेट कारपोरेशन लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2003-2004,

(4) श्री जयंत मलैया, पर्यटन मंत्री ने कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम मर्यादित का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2001-2002, तथा

(5) श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने विद्युत अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36 सन् 2003) की धारा 182 की अपेक्षानुसार ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4300-तेरह-2004, दिनांक 22 जुलाई, 2004,

पटल पर रखे।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

7. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय सिंह "राहुल भैया" तथा श्री कमल पटेल, सदस्य ने प्रदेश के अनेक जिलों में इल्लियों के प्रकोप से फसलों की क्षति होने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अनेक वर्षों से सिविल सेवा परीक्षा आयोजित न किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री बाबूलाल गौर, मुख्यमंत्री ने इस पर अपना वक्तव्य दिया।

8. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य ने पन्ना जिले के -

(क) ग्राम श्यामगिरि में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,

(ख) ग्राम सुनवानी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,

(ग) ग्राम बोरी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,

(घ) ग्राम बिसानी में मिनी पी.एच.सी. खोले जाने,

(ड.) ग्राम मोहन्डा स्थित पुलिस चौकी का उन्नयन कर थाना में अपग्रेड किये जाने,

(च) उप-तहसील रैपुरा का उन्नयन कराये जाने, तथा

(छ) उप-स्वास्थ्य केन्द्र शाहनगर में 20 बिस्तरीय भवन का निर्माण कराये जाने, तथा

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य ने मालवीगंज, इटारसी, जिला होशंगाबाद के किसान को अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिलाये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत की।

9. लोक लेखा समिति में हुए रिक्त दो स्थानों की पूर्ति हेतु निर्वाचन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि -

" सभा के सदस्यगण, मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 221 के उपनियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से वित्तीय वर्ष 2004-2005 की शेष अवधि के लिये लोक लेखा समिति में रिक्त हुए दो स्थानों की पूर्ति के लिये अपने में से दो सदस्यों के निर्वाचन के लिये अग्रसर हों."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि लोक लेखा समिति के निर्वाचन का कार्यक्रम निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :-

(1) नाम निर्देशन प्रपत्र विधान सभा सचिवालय में मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 सांय 5 बजे तक दिये जा सकते हैं।

(2) नाम निर्देशन प्रपत्रों की जांच बुधवार, दिनांक 8 दिसम्बर,2004 को अपराह्न 2.00 बजे से।

(3) उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की सूचना गुरुवार, दिनांक 9 दिसम्बर, 2004 को अपराह्न 3.00 बजे तक सचिवालय में दी जा सकती है।

(4) निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे तक होगा।

(5) निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त निर्वाचन में अभ्यर्थियों के नाम प्रस्तावित करने के प्रपत्र एवं नाम वापस लेने की सूचना देने के प्रपत्र विधान सभा सचिवालय स्थित सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

10. वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार वर्ष 2004-2005 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन किया।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा इस अनुपूरक अनुमान पर चर्चा और मतदान के लिए दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 को 2 घण्टे 30 मिनट का समय नियत किया गया।

11. वक्तव्य

डॉ. ढाल सिंह बिसेन, स्कूल शिक्षा मंत्री ने दिनांक 2 जुलाई, 2004 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 64 (क्रमांक 2141) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

12. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन तथा विकास मंत्री ने मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 15 सन् 2004) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

(12.58 बजे से 2.33 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(2) श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री दुर्गालाल विजय

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री विधि और विधायी कार्य ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खण्डशः विचार हुआ।

खण्ड 2 तथा 3 विधेयक के अंग बने।

खण्ड 1 विधेयक का अंग बना।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र विधेयक के अंग बने।

श्री लवकेश सिंह, राज्यमंत्री, विधि और विधायी कार्य ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2004 (क्रमांक 14 सन् 2004) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

13. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

प्रदेश में खाद बीज की कमी एवं नकली खाद बीज विक्रय से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री आरिफ अकील तथा श्री सत्यदेव कटारे, सदस्यगण ने चर्चा उठाई।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया।

(1) श्री सत्यदेव कटारे

(2) श्री कमल पटेल
(3) श्री प्रदीप जायसवाल
(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(5) श्री बाबूलाल महाजन
(6) श्री इन्द्रजीत कुमार
(7) श्री लाखन सिंह बघेल
(8) डॉ. सुनीलम्
(9) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा
(10) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(11) श्री गोविन्द सिंह राजपूत
(12) श्री शंकर लाल तिवारी
(13) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर
(14) श्री शिव प्रसाद राठौर
(15) श्री बहादुर सिंह
(16) श्री दरबू सिंह उईके
(17) श्री गिरिजा शंकर शर्मा

श्री गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

4.58 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2004 (अग्रहायण 16, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.